न्यायालय, समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया

वाद सं0–आर0एम0–80 / 2013–14

आलोक कुमार चौबे बनाम रामधारी निषाद

आदेश

19/5

सी0डब्लू0जे0सी0 नं0 23269 / 2013 आलोक कुमार चौबे बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02.01.2014 को पारित आदेश के आलोक में प्रस्तुत वाद प्रारम्भ किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है कि :–

The District Magistrate shall fix a date for hearing in presence of the petitioner and inform respondent no. 9 also. The District Magistrate shall then grant a personal hearing to the parties in presence of each other. We also direct that the District Magistrate will either carry out a physical inspection of the areas himself in presence of the parties or depute at least three senior officers from the office of the District Magistrate for the purpose who again will carry out the inspection in presence of the petitioner and respondent no. 9.

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में आवेदक श्री आलोक कुमार चौबे वल्द–श्री प्रकाश चौबे ग्रा0–विरगोरा थाना–जटहा बाजार जिला–कुशीनगर उत्तर प्रदेश एवं विपक्षी सं0–9 श्री रामधारी निषाद ग्रा0 मुहल्ला–राघव नगर थाना–कोतवाली देवरिया (उत्तर प्रदेश) को सुनवाई हेतु सूचना निर्गत की गयी। आवेदक द्वारा उपस्थिति दी गयी

है। आवेदक का आरोप है कि विपक्षी सं0–9 श्री रामधारी निषाद द्वारा गंडक नदी के दखिन ग्रा0–श्रीपतनगर परसौनी पिपरासी, मुराडीह (दुबे) मधुबनी (बरवा) गोबरही , धनहा, बरिहा, ठकराहा से अवैध रूप से बालू का खनन किया जा रहा है।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में स्थानीय जांच कर जांच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निम्नलिखित पदाधिकारियों के तीन सदस्यीय दल का गठन किया गया '' 1.अपर समाहर्ता, (विभागीय जांच) पश्चिम चम्पारण, बेतिया 2. अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा 3. जिला खनन पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया'' इन पदाधिकारियों को आदेश दिया गया कि आवेदक एवं संबंधित सभी पक्षों को सूचित कर उनके उपस्थिति में संयुक्त रूप से स्थलीय जांच कर स्पष्ट जांच प्रतिवेदन मंतव्य के साथ समर्पित करें। अपर समाहर्ता, (विभागीय जांच) पश्चिम चम्पारण, बेतिया ने अपने पत्रांक शून्य कैम्प बगहा दिनांक 09.03.2014 द्वारा जांच प्रतिवेदन भेजा है जिस पर खनन विकास पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया , अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा एवं अपर समाहर्ता, (विभागीय जांच) पश्चिम चम्पारण, बेतिया का हस्ताक्षर है। त्रिसदस्यी जांच समिति में खनन विकास पदाधिकारी भी थें किंतु जांच के समय उपस्थित नही थें।

जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवेदक के साथ–साथ विपक्षी सं0–9 श्री रामधारी निषाद को जांच समिति द्वारा स्थलीय जांच हेतु सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–23269/2013 में वर्णित स्थलों पर उपस्थित रहने हेतु सूचित किया गया, लेकिन विपक्षी सं0–9 स्थल पर नही आये साथ ही खनिज विकास पदाधिकारी भी जांच के समय उपस्थित नही थें, लेकिन आवेदक श्री आलोक कुमार चौबे शुरू से आखिरी तक जांच के दौरान मौजूद रहें एवं जहॉ –जहॉ ले गये उनके साथ स्थलीय जांच हेतु गठित समिति के सदस्य गये। जांच प्रतिवेदन में उल्लेंख किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में मुख्य रूप से तीन आरोपों की जांच की जानी है :–

1. श्री रामधारी निषाद द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है या नही?
2. बांध को बालू उत्खनन से खतरा है या नही?
3. पर्यावरण पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है या नही?

जांच प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि स्थलीय निरीक्षण के दौरान श्री दूबे सर्वप्रथम मुडाडीह (दूबे) खनन स्थल पर ले गये। जहॉ बांध 500 मीटर से भी ज्यादा दूर पाया गया एवं रैयती जमीन से भू–स्वामियों के सहमति से बालू उत्खनन हेतु प्राप्त राशि के आधार पर श्री निषाद द्वारा बालू उत्खनन करने संबंधी लिखित जानकारी भू–स्वामी राजन कुमार पिता–बुधन यादव एवं नवलकिशोर दूबे पिता–सच्चिदानंद द्वारा दी गयी। यह भी प्रतिवेदन दिया गया है कि मुडाडीह (दूबे) से करीब चार किलोमीटर पश्चिम सुगौली जो जगह रिट में उद्धृत नही है फिर भी उस जगह रैयती भूमि से भू–स्वामियों के सहमति पर 50.00 रूपयें प्रति ट्रेलर की दर से बालू श्री निषाद द्वारा उत्खनन किये जाने की लिखित जानकारी भू–स्वामी श्री रामायण प्रसाद यादव एवं सुनील कुमार गुप्ता द्वारा दी गयी। इस जगह से भी बांध 500 मीटर की दूरी पर उत्खनन स्थल से पाया गया। प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि मधुबनी (फटकी एरिया) में भी रैयत श्री सत्येन्द्र प्रसाद द्वारा बताया गया कि रैयती भूमि से उन लोगों की सहमति पर प्रति ट्रेलर 50/रू0 की दर से श्री निषाद द्वारा उत्खनन किया गया था। यहा भी तटबंध 500 मीटर से ज्यादा दूरी पर है।

जांच समिति द्वारा यह प्रतिवेदन दिया गया है कि निरीक्षित स्थलों पर भू–स्वामियों के सहमति से ही उन्हें राशि देकर श्री निषाद द्वारा बालू उत्खनन करने का तथ्य प्रकाश में आया। उत्खनन स्थल पर ग्रामीणों द्वारा एक स्वर से बालू उत्खनन को सही ठहराया गया एवं बताया गया कि बालू खेतों से हटाने से उन्हें पैसा भी मिलता है एवं नदी द्वारा उसमें बरसात में मिट्टी छोड़ने से खेत काफी उपजाउ हो जाता है।

जांच समिति द्वारा यह स्पष्ट मंतव्य दिया गया है कि विभागीय निदेश के अनुरूप भू–स्वामियों के रैयती जमीन से उनके सहमति से बालू उत्खनन अवैध नही है। तटबंधों की दूरी 500 मीटर से 02 किलोमीटर पाये जाने से स्पष्ट है कि तटबंधों को भी कोई खतरा नही है साथ ही चारो तरफ रैयती खेत में बालू ही पाया गया कोई पेड़ पौधा जंगल नही है। अतः पर्यावरण पर भी कोई भी विपरित असर इस तरह के उत्खनन से नही पडता हुआ दिखाई देता है। जांच प्रतिवेदन के साथ 05 व्यक्तियों के लिखित ब्यान की छाया प्रति संलग्न की गयी है।

जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि विपक्षी सं0 09 श्री रामधारी निषाद द्वारा नियमानुसार खनन किया जा रहा है। अतः आवेदक द्वारा लगाया गया आरोप जांच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर सत्य प्रतीत नही होता है। अतः इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

19/5

समाहर्ता,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

19/5

समाहर्ता,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।